भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3223

सोमवार, 9 अगस्त, 2021/ 18 श्रावण, 1943 (शक)

कर्नाटक के लिए संस्वीकृत सहायता अनुदान

3223. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कर्नाटक की राज्य सरकार के लिए गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान संस्वीकृत किए गए केन्द्रीय सहायता अनुदान के आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विभाग/मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित विभाग समय-समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्वीकृत किए गए सहायता अनुदान का विभाग-वार ब्यौरा प्रदान कर सकती है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): केन्द्रीय सरकार/वित्त मंत्रालय प्रत्येक स्कीम/कार्यक्रम के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को बजट संबंधी प्रक्रिया के माध्यम से निधियां आबंटित करता है। इसके पश्चात् संबंधित मंत्रालय/विभाग राज्यों के समेकित कोष के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार का हिस्सा आबंटित करता है। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत धनराशि जारी की जाती है। राज्य सरकारों को जारी की गई धनराशि कतिपय कारकों पर भी आधारित है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, लक्ष्यों की प्राप्ति आदि शामिल है। वित्त आयोग अंतरणों के तहत कर्नाटक राज्य को वर्ष 2021-22 के लिए 6,522 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक वित्त मंत्रालय द्वारा कर्नाटक राज्य को जारी की गई धनराशि अनुबंध में दी गई है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए केन्द्रीय व्यय बजट में परिव्ययों का रुझान इस प्रकार है;

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम की श्रेणी	2018-19	2019-20	2020-21 (सं.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
1.	वित्त आयोग अंतरण	93,703.58	1,23,709.87	1,82,352.43	2,20,843.00
1(क)	**कर्नाटक सरकार को जारी की गई राशि**	4,333.73	7,578.19	6,246.27	2,114.50*
2.	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	2,96,028.85	3,09,552.68	3,87,899.80	3,81,304.55
3.	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें	6,38,494.87	7,57,091.13	12,63,689.81	10,51,703.41
4.	अन्य अंतरण	88,234.57	1,98,706.82	1,91,155.29	2,08,484.17

***वर्ष 2021-22 के लिए आबंटित 6,522 करोड़ रुपए की तुलना में दिनांक 04.08.2021 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक राज्य सरकार को जारी की गई धनराशि**

******

दिनांक 09.08.2021 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 3223 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक के लिए की गई सिफारिश के अनुसार विभिन्न घटकों के तहत कर्नाटक राज्य सरकार को जारी किया गया सहायता-अनुदान।

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	घटक	वर्ष	आबंटित राशि	जारी की गई राशि*
1.	अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	2021-22	1631.00	543.67
2.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	2021-22	791.00	316.40
3.	शहरी स्थानीय निकाय अनुदान			
3.क	दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर	2021-22	421.00	0.00
3.ख	दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर	2021-22	750.00	150.00
4.	ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान	2021-22	2377.00	475.40
5.	स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान	2021-22	552.00	0.00
6.	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष	2021-22	0.00	629.03
	कुल		**6522.00**	**2114.50**

***वर्ष 2021-22 के लिए आबंटित 6,522 करोड़ रुपए की तुलना में दिनांक 04.08.2021 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक राज्य सरकार को जारी की गई धनराशि**

क्र. सं.	घटक	वर्ष	राशि
1.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	2020-21	791.00
2.	शहरी स्थानीय निकाय अनुदान		
2.क	दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर	2020-21	991.00
2.ख	दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर	2020-21	558.00
3.	ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान	2020-21	3217.00
4.	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष	2020-21	689.27
	कुल		**6246.27**

क्र. सं.	घटक	वर्ष	राशि
1.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	2019-20	204.00
2.	शहरी स्थानीय निकाय अनुदान	2019-20	1661.78
3.	ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान	2019-20	2504.13
4.	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष	2019-20	3208.28
	कुल		**7578.19**

क्र. सं.	घटक	वर्ष	राशि
1.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	2018-19	288.00
2.	शहरी स्थानीय निकाय अनुदान	2018-19	1040.27
3.	ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान	2018-19	2045.62
4.	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष	2018-19	959.84
	कुल		**4333.73**

****